

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर मु, टोंक
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान : अटल सेवा केन्द्र.....

-: आवेश :-

प्राधी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी.....
को रिपोर्ट तथा तहसीलदार...../नायब तहसीलदार..... की अनुमति के आधार पर राजस्थान
शु-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम..... तहसील.....
जिला..... को जमाबन्दी सम्बन्ध... में खाता संख्या... में वर्तमान
में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश कि जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	शुक्रदेवा पुत्र हरनाथ शुक्रदेवा पुत्र हरनाथ	18	शुक्रदेवा पुत्र हरनाथ /	शुक्रदेवा पुत्र हरनाथ /

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन (राजकोट)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, टोंक

क्रमांक :- 1252

दिनांक 17/5/2022

1. तहसीलदार टोंक को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्राधी श्री..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
टोंक (राजकोट)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, टोंक